

बरेilly जिला अंचलिक अतिरिक्त वरकड़ा, हुनर नगर

अंचलिक कार्यालय

पत्र संख्या : 155/2017-2000
 दिनांक : 28.11.20


03/11/20

अभिलेख का संधारण (S-Charting) में प्रयुक्त प्लॉट का विवरण निम्न प्रकार है।
 प्लॉट नं. 01 का मालिक अभिलेख का संधारण वर्ष 2016-17 में किया गया था। अभिलेख
 में प्लॉट नं. 01 के इलाके में प्लॉट नं. 01 का विवरण अन्वय रख दिया जाते एवं वहीं निम्न
 प्रकार का सुचना किया गया। अन्वय संख्या 1389, प्लॉट नं. 01 का
 दिनांक 24.08.2016 के आलाक में निवेशन भू-अंजन सह विभाग सचिव राजस्व एवं भूनि सुधार
 विभाग का पत्र सं-03-खा0 नं. 119/35-2308/प्लॉट नं. 01 दिनांक 03.09.1965 एवं सह
 पत्र सं. राजस्व विभाग परिसर सं-4/4 प्लॉट नं. 01 दिनांक 19.12.1998 में निहित
 अनुसूची के अंतर्गत में प्लॉट नं. 01 का मालिक भूनि के विरुद्ध कायम की गई जनाबंदी
 को जमा कर के तहत राजस्व उप नि. 01 का अन्वय निरोधक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है कि
 निम्न प्लॉट नं. 01 खाल भूनि को जनाबंदी कायम है।

नं.	खता	खसरा	रकबा	जनाबंदीदार	पत्रों-2 का
कोरखण्ड	01	-	0.22 ए०	रघु का नाम ब/म (41) 4/69 -/54 दयानंद 4/69	प्लॉट नं. 01 का 23/11

राजस्व उप निरोधक/अंचल निरोधक में उपरोक्त वर्णित जनाबंदी का संदेहात्मक
 मानते हुए प्रतिबंधित किया है।


अतः संबंधित को संधारित जनाबंदी के विरुद्ध राजस्व दस्तावेज उपस्थापित करने
 हेतु सुचना निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 28/11/20 को उपस्थापित करें।


 अंचल अधिकारी
 बरेilly

28/11/20

अभिलेख उपस्थापित। सुचना का तानिला प्राप्त। झारखण्ड सरकार राजस्व निबंधन
 एवं भूनि सुधार विभाग झारखण्ड के पत्रांक-04/संभू (दिशा-निर्देश)-95/2016-2074,
 दिनांक-13.05.16 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलाक में जांच की गई। जनाबंदीदार
 रघु का द्वारा संदेहात्मक जनाबंदी के विरुद्ध भूनि जमींदार के द्वारा 01.01.1946 से पूर्व का
 हुसुलनामा, वर्ष 1955-56 से लगायत वसूली भूनि पूर्व जमींदार का Form-M एवं सरकारों
 द्वारा दिये गये बंदायगी संबंधी किराये प्रमाण का दस्तावेज उपस्थापित नहीं किया।

अतः पत्रांक (झारखण्ड) भूनि सुधार अधिनियम 1950 को धारा 4(h) में विहित
 प्रावधानों के अनुसार जनाबंदी सं. 23/11 बतान ब/म (41) 4/69 को संदेहात्मक मानते
 हुए रद्द करने को अंगुरीदा को जाते है। अभिलेख भूनि सुधार उप सनाइती बरेilly का
 पत्र।


 अंचल अधिकारी
 बरेilly

संदिग्ध / संदेहास्पद जमावदी सगंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमावदी स्थल का नाम - 215 लखन बादर - प्रि.0' बंधन बादर -
2. जमावदी से शकित भूमि का विवरण - वर्ग 2912

मौजा	स्थान सं०	खाला सं०	खेत सं०	खेत
को-162/296	99	1	-	0.22 ए०

3. जमावदी पंजी-11 के अन्तर्गत संख्या 1 पृष्ठ सं०- 23 पर कायम है -
4. जमावदी किस वर्ष कायम है - 2003-04
5. खतियान के अनुसार जमावदी भूमि के स्वामी का नाम - वर्ग 2912
6. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमावदी कायम की गई है? द्विदेशादर्श नहीं है
7. यदि संदेहास्पद जमावदी न्याय-व्यवस्था द्वारा शकित है तो मूल जमावदी के संख्या -
8. मूल जमावदी कायम किए जाने का आधार अनिर्दिष्ट तादातु अनुसंधान / निर्धारण / अन्य मूल्यांकन -
9. संदेहास्पद जमावदी की शकित भूमि कायम प्रक्रिया से की गई (सूचना) का प्रमाण पंजी-11 सं
 दाखिल / रिकॉर्ड / कन्दीकरण / अन्य प्रमाण निर्धारण पंजी-11 मू-हस्ताक्षर -
10. संदेहास्पद जमावदी में जमावदी कायम प्रक्रिया से की गई (सूचना) का प्रमाण

क्र० संख्या 5649095

20/12/11

2010-11

(Signature)
 25/11/2011

संविध / अवैध जमाबन्दी से संबंधित अंचल स्तर पर भरा जाने वाला
चेक लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - होशियारपुर / पंजाब
 2. क) अवैध जमाबन्दीदार का नाम - रामलाल
 ख) अवैध जमाबन्दी की भूमि की विवरणी-

नौजा	थाना नं०	खाता नं०	खसरा नं०	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्त जमीन
1	2	3	4	5	6	7
<u>क/न/१/१</u>	99	01	-	0.22 घ	<u>ग/१६२१/१</u>	

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप - 44.1
 4. अवैध जमाबन्दी पंजी ॥ में कब से संघारित है - 2003-04
 5. उक्त जमाबन्दी पंजी ॥ में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम - कॉन्स्टेबल सुनील
 (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मी का नाम अंचल कार्यालय में संघारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें। X
 6. नामान्तरण/दाखिल -खारिज उपरान्त संघारित जमाबन्दी के नामलों में मूल जमाबन्दी रकबत की विवरणी - X
 7. अवैध जमाबन्दी कायम किये जाने का आधार
 i) अनिर्दिष्ट सादा हुकुमनामा
 ii) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद सं० एवं पारित आदेशानुसार) 71
 iii) अवैध भू-बन्दोवस्ती (वाद सं० के साथ) 71
 8. सादा हुकुमनामा की स्थिति में तथाकथित सादत पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/- रुपये कम या इससे अधिक) 71
 9. अवैध जमाबन्दी की जाँच किस राजस्व अनिलेख से की गई है:-
 i) भूत पूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न से - नहीं
 ii) अंचल / अनुमंडल में संघारित बन्दोवस्ती पंजी से - 71
 iii) दाखिल-खारिज/भू-हस्तांतरण/नामान्तरण पंजी से - पंजी 11/8
 10. क) अवैध जमाबन्दी क्या दिनांक 01.01.1946 के पूर्व से कायम है?
 11. क्या दिनांक 01.01.1946 के बाद से 1955-56 तक जमींदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? 71
 12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड बुझारल पंजी में दखल कबजी अवैध जमाबन्दीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? नहीं
 13. राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुरासा सहित - भूमि के रखा बिना जमाने 1 जमावद
 14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरान्त तन्नाय सहित स्पष्ट प्रतिवेदन - गई कबजे से किमान मुद्दत कायम
भूमि जाय कावद

अंचल 23/11/20 भूमि सुधार उपसमाहता अनुमंडल पदा० अमर लनाहता उपायुक्त